पेश किया। प्रतिवादी नं० 1, 2 व ... पेश हुआ। प्रतिवादी नं० 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते वकालतनामा वादी व वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 26-2-2015 को पेश हो।

26-2-15 वकील वादी उप० है। वास्ते वकालतनामा वादी व वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 26-3-15 को पेश हो।

26-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 7-5-2015 को पेश हो।

7-5-15 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. ... दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 21-5-15 को पेश हो। वादी की ओर से श्री दिनेश ... एडv. ने वकालतनामा पेश किया। रीडर

21-5-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~श्रमण ... अवकाश पर है/~~ अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-6-15 को पेश हो। रीडर

2129.31
1-6-15

राधेश्याम
ओमप्रकाश

5-6-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर सलेमपुर पर पेश हुई। वादी राधेश्याम व प्रतिवादी ओमप्रकाश, तीजो उप० है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उन्होने सहमति से भूमि का तहसीलदार के यहां विभाजन करा लिया है, अब वादी अपना दावा चलाना नहीं चाहता है। वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।

नि० तीजो

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी दावा चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

राधेश्याम पुत्र पाच्या, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 बंशी रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. तीजो पत्नी स्व. बंशी रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. लैंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि

मुकदमा नं. – 104/2014

वादी की ओर से वादी राधेश्याम की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी ओमप्रकाश, तीजो की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी अपना दावा नही चलाना चाहता है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 05.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस " साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- सलेमपुर

36

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 5/6/15

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,,
कैम्प- सलेमपुर
राधेश्याम बनाम ओमप्रकाश आदि
प्रकरण संख्या - 104/14 अन्तर्गत धारा 53 R.T.Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री राधेश्याम
का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-
[illegible]

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तरदीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष	प्रतिवादी पक्ष
1. राधेश्याम	1. ओमप्रकाश
2.	2.
3.	3. [illegible]
4.	4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature] (वादी पक्ष) नाम ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature] (प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

प्रधान / सरपंच ... सलेमपुर (सवाई माधोपुर)

प्रार्थी/वादी राधेश्याम एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी ओमप्रकाश वगैरा
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हरखख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी